Major & Medium irrigation projects through Accelerated Irrigation Benefits Programmes (AIBP), launched during 1996-97. Under AIBP Central Loan Assistance of Rs. 14.00 crores and Rs. 55.00 crores has been released to Maharashtra during 1996-97 and 1997-98 respectively.

Reduction in the flow of water for Farakka Barrage

3352. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of continuous withdrawal of water in the upstream of the Ganga, the flow of water available for the Farakka Barrage has considerably reduced below the minimum targeted flow of 40,000 cusecs affecting the navigability of the Calcutta port;

(b) whether the position has further worsaned as a result of the agreement relating to the sharing of Ganga water with Bangladesh; and

(c) if so, what steps are proposed to be taken to save the Calcutta port from siltation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

नर्मदा परियोजना पर मुख्य मंत्रियों की बैठक

3353. **श्री अनन्तराँय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा परियोजना से संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) अब तक हुई बैठकों के क्या निष्कर्ष रहे और प्रत्येक मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक हुई बैठकों में क्या कोई समाधान मिल पाया है जिससे नर्मदा परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में तथा सदस्य रूप में नर्मदा बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के साथ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आर सी एन सी ए) की अब तक 7(सात) नियमित बैठकें और 1(एक) विशेष बैठक हो चुकी है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की दिनांक 15.7.1996 को आयोजित विशेष बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का यह रवैया था कि यह परियोजना नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार नियोजित सरदार सरोवर बांध का पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर (455 फुट) रखते हुए पूरी की जानी चाहिए जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने जलमग्न क्षेत्र और परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या में कमी लाने के लिए पूर्ण जलाशय स्तर घटाकर 132.68 मीटर (436 फुट) करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश ने यह भी आग्रह किया कि बांध के स्पिलवे भाग को 81.5 मी० की मौजूदा स्तर से ऊपर उठाने के पहले 132.68 मी० (436 फुट) पर पूर्ण जलाशय स्तर को ध्यान में रखते हुए बांध की रूपरेखा परिवर्तित की जानी चाहिए। चूंकि उक्त बैठक में विचार-विमर्श से कोई निष्कर्ष न निकल सका अतः 15 और 16 जुलाई, 1996 को पक्षकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई जिसमें सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और निम्न सहमति हुई:—

"पहली बार में पूर्ण जलाशय स्तर को 132.68 मीटर (436 फुट) तक सीमित रखते हुए सरदार सरोवर बांध का निर्माण आयोजना के अनुसार किया जाए। इसके बाद पांच वर्ष तक बांध में जल के वास्तविक प्रवाह के आंकड़ों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि इन पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में जल निस्सरण का प्रवाह पंचाट में आकलित किए गए अनुसार पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फुट) तक उठाने संबंधी निर्णय पर विचार किया जा सकता है।

बांध का निर्माण पंचाट की शर्तों तथा इस संबंध में राज्यों द्वारा बनाई गई सहायता और पुनर्वास